नियम 51 : आदेश पर हस्ताक्षर और तारीख अंकित होना

(1) अपील अधिकरण का प्रत्येक आदेश लिखित होगा और संबंधित न्यायपीठ के सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और डाली जाएगी।

(2) मामलों की सुनवाई की अंतिम तारीख आदेश के प्रथम पृष्ठ पर टाइप की जाएगी।

(3) यदि आदेश न्यायपीठ पर लिखवाया जाता है, तो लिखवाने की तारीख अंतिम आदेश की तारीख होगी।

(4) यदि आदेश आरक्षित है, तो अंतिम आदेश की तारीख वह तारीख होगी, जिस तारीख को आदेश सुनाया जाता है।

(5) ऐसे मामलों में, जहां निर्णय का सार विस्तृत आदेश के बिना सुनाया जाता है, विस्तृत आदेश के अंतिम पैरा में वह तारीख निर्दिष्ट की जाएगी, जिस तारीख को निर्णय का सार सुनाया गया था और ऐसे मामले में, अंतिम आदेश की तारीख वह तारीख होगी, जिस तारीख को न्यायपीठ के सभी सदस्य आदेश पर हस्ताक्षर करते हैं और जहां आदेश पर न्यायपीठ के सदस्यों द्वारा विभिन्न तारीखों मे हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो अंतिम तारीख आदेश की तारीख होगी।